न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी– जीतू सिंह मीणा आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार राजस्व छतरगढ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

श्रीमति कमलेश रानी पत्नि बालकिशन गर्ग साकिन हनुमानगढ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 86 आर टी एक्ट

उपस्थित :

01. श्री कुलदीप कस्वां तहसीलदार छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :– 03.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार छतरगढ ने दिनांक 16.09.2020 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि पटवारी पटवार मण्डल गौरीसर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी श्रीमति कमलेश रानी पत्नि बालकिशन गर्ग निवासी हनुमानगढ ने अपनी खातेदारी भूमि 532–500 आरडी के मु.नं. 221/2, 11, 12 में लगभग 40 पेड काट लिये गये है जबकि अनुमति 10 पेडों को काटने की थी। उक्त काटे गयें पेडों में से अधिकाशं पेड शीशम के है, मौके पर 6 पेड पाये गये, शेष काटे गये पेड मौके पर नहीं है की मौका फर्द हल्का पटवारी द्वारा तेयार कर कुर्की की कार्यवाही कर सुपुर्दगी में दिये गयें। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर रजिस्टर क अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया।

सरकार की ओर से तहसीलदार राजस्व छतरगढ का कथन है कि अप्रार्थीगण जानबुझकर बिना किसी सक्षम [illegible] के पेड काटकर विधिविरूद्ध कार्य किया है इसलिए काटे गये पेडों को [illegible] कुर्क किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 के तहत प्रति पेड सौ रूपयें की दर से जुर्माना एवं जब्तशुदा पेडों को जरिये निलामी निस्तारण के आदेश फरमायें जाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSc

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, रिपोर्ट तहसीलदार एवं हल्का पटवारी का अवलोकन किया। हम तहसीलदार राजस्व छतरगढ की रिपोर्ट से पूर्णतया सन्तुष्ट है। अप्रार्थीगण द्वारा पेडों को बिना पूर्व अनुमति के काटा गया है। अतः अप्रार्थी श्रीमति कमलेश रानी पत्नि बालकिशन गर्ग निवासी हनुमानगढ से अवैध रूप से कुल काटे गयें 30 पेडों में से 24 पेडों के लिए बतौर जुर्माना 100 रूपयें प्रति पेड की दर से कुल 2400/— रूपयें वसूल कर खजाना राज में जमा करानें के आदेश पारित किये जाते है तथा जब्तशुदा पेड कुल 06 को निलाम कर प्राप्त राशि खजाना राज में जमा कराने के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व छतरगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे एवं एक प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/3/2021

(जीतू सिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner